छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 325/2006</u>

श्री राकेश चौबे, मकान नं. 10/226, सत्तीबाजार, फौव्वारा चौक रायपुर (छ.ग.)	....	आवेदक

विरूद्ध

सचिव, राष्ट्रीय विद्यालय समिति, रायपुर (छ.ग.)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(24 अगस्त 2006)

श्री राकेश चौबे आवेदक के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की कि उसके द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय समिति रायपुर से जानकारी चाही थी किन्तु उन्हें समिति के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके द्वारा सचिव, राष्ट्रीय समिति दिनांक 01.03.06 को आवेदन दिया था जिसमें प्राचार्य के पद हेतु विज्ञापन से संबंधित जानकारी डॉ दीप्ति शर्मा, श्री प्रेमशंकर के अवकाश से संबंध जानकारी महाविद्यालय को नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास मद में प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राशि की जानकारी आदि से संबंधित सूचना चाही थी। किन्तु उन्हें निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने आयोग को यह भी सूचित किया कि इस समिति का कोई सूचना एवं अपीलीय अधिकारी नहीं है।

आयोग के द्वारा समिति को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 27.07.06 को शिकायतकर्ता एवं समिति की ओर से एस.के.महोबिया, अभिभाषक तथा श्री रूपचंद उपस्थित हुए। दिनांक 08.08.2006 को दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक का तर्क यह है कि समिति के द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में तथा इसके पश्चात् अभी तक चाही गई जानकारी नहीं दी गई है। अनावेदक समिति की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय विद्यालय समिति को शासन की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलता है। तथा शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। आवेदक की ओर से बताया गया कि समिति के द्वारा संचालित राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर को वर्ष 2005–06 के लिए मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा के अंतर्गत लघु शीर्ष 001 में आयोजनेतर रूपये 90,110/– तथा आयोजना के अंतर्गत 8800/– एवं राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय आयोजनेतर अतिरिक्त अनुदान 11,000/– रूपये का प्राप्त हुआ है। अतः समिति

अनुदान प्राप्त संस्था के अंतर्गत है। आवेदक के द्वारा इसी समिति के द्वारा संचालित महाविद्यालय से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से नवमीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास मद में अनुदान राशि स्वीकृत हुई।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि समिति के द्वारा संचालित संस्थाऐं राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर तथा राष्टीय प्राथमिक शाला रायपुर को अनुदान प्राप्त होता है। श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास मद में राशि प्राप्त हुई। समिति के द्वारा तर्क दिया गया कि महाविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा रविशंकर शुक्ल विद्यालय द्वारा ही प्राचार्य नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.08.05 के उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। उन्होनें यह भी उल्लेख किया कि वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख समिति के पास नहीं है। वह अभिलेख संबंधित महाविद्यालय अथवा विद्यालय के ही पास है। उक्त संस्थाएं पृथक–पृथक स्वतंत्र हैं। अतः वांछित जानकारी उक्त संस्थाओं से ही आवेदक को प्राप्त हो सकती है तथा आवेदक को उक्त संस्थाओं को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। शासन से प्राप्त अनुदान सीधे प्राचार्य को प्राप्त होता है तथा महाविद्यालय के ही लेखे में ही जमा होता है। महाविद्यालय से संबंधित अभिलेख भी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कर्मचारियों के पास ही है । समिति के पास कोई अभिलेख नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के द्वारा महाविद्यालय से संबंधित जानकारी चाही गई है। यह आपत्तिजनक है कि महाविद्यालय ने अभी तक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। प्राचार्य महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें तथा इसकी सार्वजनिक रूप से नामपट्टिका सहित प्रचारित किया जावे।

चूंकि जानकारी से संबंधित अभिलेख प्राचार्य के संरक्षण में है अतः निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र संबंधित संस्था में भेजा जावे तथा सूचना अधिकारी द्वारा अभिलेख हेतु नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करने की सूचना दी जावे तथा फीस जमा होने पर निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान की जावे। यदि सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो आवेदक पुनः विधिवत सक्षम कार्यवाही कर सकते हैं।

इस आदेश की प्रति प्राचार्य श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को भी निर्देश का पालन करने हेतु भेजी जावें।

उक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त